न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर

उपस्थितः- प्रियंका सिंह, "उ०प्र० न्यायिक सेवा"

फौजदारी वाद संख्या- 9781/2023, **सी०नं०-** 12906/2023

सी०एन०आर०नं०- UPAN040192452023

सरकार ---------- **अभियोजक**

बनाम

1. दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामप्यारे
2. संजय विश्वकर्मा पुत्र राजेश विश्वकर्मा
3. दिलीप विश्वकर्मा पुत्र राजेश विश्वकर्मा
4. सचिन विश्वकर्मा पुत्र रामजगत विश्वकर्मा

समस्त निवासीगण ग्राम-आमादरवेशपुर, थाना-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर ---------- **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०-102/2017
धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं०
थाना-आलापुर,
जिला-अम्बेडकरनगर।

निर्णय

अभियुक्तगण दिनेश विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, दिलीप विश्वकर्मा व सचिन विश्वकर्मा का विचारण धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं० के तहत पुलिस थाना-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा इन्द्रसेन मौर्य पुत्र रामशंकर मौर्य निवासी ग्राम-आमादरवेश, थाना-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 22.07.2017 को थानाध्यक्ष-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर को इस आशय की लिखित तहरीर दिया कि, "प्रार्थी इन्द्रसेन मौर्य अपने घर से सुबह सात बजे अपने खेत में गया था कि इतने में विपक्षीगण दिनेश विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामप्यारे, संजय व दिलीप पुत्र राजेश तथा सचिन पुत्र

रामजगत निवासी ग्राम के ही है। प्रार्थी के खेत की मेड़ काटकर अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे, देखा तब मना किया। लेकिन मना करने पर माने नहीं और प्रार्थी को भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए चाकू निकालकर मारने लगे। प्रार्थी को लात-घूसों से मारने लगे। प्रार्थी को धमकी देते हुए कि अगली बार खेत पर आवोंगे तो तुमको साले जान से मार डालेंगे। अतः याचना की गयी कि रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. उपरोक्त आशय की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा प्रकरण को मु०अ०सं०-102/2017 अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं०, थाना-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के रूप में पंजीकृत किया गया। न्यायालय के आदेश से संबंधित विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक ने मामले की विवेचना किया। दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने गवाहान के बयान लिए तथा आवश्यक विवेचनोपरांत अभियुक्तगण दिनेश विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, दिलीप विश्वकर्मा व सचिन विश्वकर्मा के विरूद्ध मु०अ०सं०-102/2017 अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं० का मामला पाते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और जमानत पर रिहा हुए। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गई।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 11.08.2023 को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा इन्द्रसेन मौर्य व पी०डब्लू० 2 अनिल कुमार सिंह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया है तथा अभियोजन को उसके प्रपत्रों को साबित करने से छूट दे दी है। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

7. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 23.08.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक से इन्कार किया तथा मुकदमा रंजिशन चलना कहा एवं सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की

बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप पूर्णतया साबित होते हैं। अतएव तदनुसार अभियुक्तगण को दण्डित किया जाए।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अत्यधिक विरोधाभास है जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अतएव अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को धारदार/खतरनाक हथियार से मारपीट कर चोटे पहुँचायी गयी व उसे भद्दी-भद्दी गालियाँ व जान से मारने की धमकी दी गयी? अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में लिखित तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूलप्रति, आरोप-पत्र व नक्शा नजरी घटना स्थल आदि प्रस्तुत किया गया, जिसकी औपचारिक सत्यता को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया।

12. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं० का आरोप लगाया गया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं० को संदेह से परे युक्ति युक्त साबित करने में सफल रहा है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयान का सम्यक परिशीलन किया।

14. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 इन्द्रसेन मौर्य वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, "घटना दिनांक 22.07.2017 समय करीब सुबह 07:00 बजे की है। मैं अपने खेत की तरफ गया हुआ था। तभी विपक्षीगण दिनेश विश्वकर्मा, संजय, दिलीप व सचिन मेरे खेत का मेड़ काटकर अपने खेत की रोपाई कर रहे थे। मैंने उन लोगों को मना किया तो वे नहीं माने और मुझे भद्दी-भद्दी गाली देते हुए चाकू निकालकर मारे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उक्त घटना की सूचना थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैंने दिया था। वह प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श-क-1 डाला गया। पुलिस ने मेरा डॉक्टरी परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर पर कराया था। जहाँ पर डॉक्टर ने एक्स-रे की सलाह दिया था। दरोगा जी मौके पर आये थे और मेरा बयान लिये थे।"

15. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "मेड़ काटने की बात को लेकर मेरे तथा अभियुक्तगण दिनेश, संजय, दिलीप व सचिन के बीच कुछ कहा-सुनी हुयी थी। कहा-सुनी के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कोई मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित नहीं की गयी थी। कहा-सुनी के दौरान धक्का-मुक्की में मैं फावड़े पर गिर गया था, जिससे मुझे चोटे आयी थी। उन्हीं चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"

16. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से पुनः परीक्षा करने पर कथन किया गया कि, "अभियुक्तगण उपरोक्त मेरे सगे पट्टीदार है, जिनसे सुलह-समझौता हो गया है। लोगों के बताने के आधार पर मैंने अभियुक्तगण का नाम लिखा दिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। उन्होंने यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण मेरे सगे पट्टीदार है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण का पट्टीदार होने के नाते उन्हें बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

17. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 अनिल कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, "घटना आज से लगभग 06 साल पहले की है। अभियुक्तगण दिनेश, संजय, दिलीप व सचिन विश्वकर्मा तथा इन्द्रसेन मौर्य के बीच इन्द्रसेन मौर्य के खेत पर कुछ कहा-सुनी हो गयी थी। कहा-सुनी के दौरान मैं अफने घर पर मौजूद था। शोरगुल सुनकर मैं भी मौके पर पहुँचा था परन्तु मैंने अभियुक्तगण उपरोक्त को मारपीट करते, गाली देते व जान से मारने की धमकी देते न तो देखा था और न ही सुना था। कहा-सुनी के दौरान पास में रखे फावड़े पर गिर जाने से इन्द्रसेन को चोट आ गयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।"

18. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "लगभग 06 साल पहले की बात है। सुबह का समय था। मैं अपने घर पर मौजूद था। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि अभियुक्तगण दिनेश, संजय, दिलीप व इन्द्रसेन के बीच खेत की मेड़ को लेकर कहा-सुनी हो रही थी। कहा-सुनी के दौरान काफी भीड़ थी। भीड़ में फावड़े पर गिरने के कारण इन्द्रसेन को चोटे आयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा इन्द्रसेन मौर्य को गाली व जान से मारने की धमकी नहीं दी गयी थी और न ही उनके साथ कोई मारपीट ही की गयी थी। अभियुक्तगण मेरे गाँव के है। साक्षी ने अपन

बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० से इन्कार किया तथा कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने यह बयान कैसे लिख लिया, नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण मेरे गाँव के हैं, जिनसे मेरा अच्छा संबंध है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के गाँव का होने के नाते उन्हें बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

19. इस प्रकार, साक्षी पी०डब्लू० 1 इन्द्रसेन मौर्य, जो कि प्रकरण का वादी मुकदमा है, ने बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए अभियोजन कथानक को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है।

20. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण में से स्वयं वादी मुकदमा इन्द्रसेन मौर्य द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है। साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि, "मेड़ काटने की बात को लेकर मेरे तथा अभियुक्तगण दिनेश, संजय, दिलीप व सचिन के बीच कुछ कहा-सुनी हुयी थी। कहा-सुनी के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कोई मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित नहीं की गयी थी। कहा-सुनी के दौरान धक्का-मुक्की में मैं फावड़े पर गिर गया था, जिससे मुझे चोटे आयी थी। उन्हीं चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।"

21. जहाँ तक अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार करने का प्रश्न है। यद्यपि अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है और वे साक्ष्य में भी ग्राह्य हैं किन्तु जब स्वयं वादी मुकदमा ने ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तो मात्र अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियोजन कथानक को साबित नहीं माना जा सकता है।

22. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए आरोप अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 व 324 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण दिनेश विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, दिलीप विश्वकर्मा व सचिन विश्वकर्मा को अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 व 324 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके

बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्तगण धारा-437 ए. दं०प्र०सं० के तहत मु० 20,000-20,000/- रूपये (बीस-बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक-एक प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः-17.10.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-17.10.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082